10.2.20

पत्रावली पेश हुई पद्मनाराव के वकील उपस्थित, मूल वाद में वादी द्वारा वाद विड्रो किया जा चुका है इसलिए मूल वाद विड्रो के आधार पर खारिज किया जा चुका है इसलिए प्रार्थना पत्र प्रायः हीन हो चुका है।

अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है पत्रावली शुमार होकर नम्बर से आम रोकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.09.09 14:17:21 IST
Reason: SelfAttested